<u>कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड पन्ना, म0प्र0</u>

निविदा आमंत्रण सूचना कमांक 61 / 12–13 पन्ना, दिनांक : 8–3–2013

<u>संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पृथक–पृथक मोहरबंद निविदायें प्रपत्र 'अ' प्रतिशत दर पर पम्प हाउस एवं आर.सी.सी. सिस्टर्न निर्माण कार्य प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 15.06.2009 से जारी यू.एस.ओ.आर. पर, पाईप लाईन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 02.12.2009 से जारी वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज पाईप लाईन के यू.एस. ओ.आर. पर निविदा जारी दिनांक तक संशोधनों पर नवीन प्रणाली (लोक निर्माण विभाग के द्वारा) के तहत "सी" श्रेणी व उससे उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 22–3–2013 को अपरान्ह 3:00 बंजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे उपस्थिति निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 21–3–2013 तक इस कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं ।

<u>**कार्य का विवरण**</u>– डिपाजिट मद के अंतर्गत शासकीय पोलीटेकनिंग महाविद्यालय पन्ना में पंप हाउस निर्माण, 5000 लीटर क्षमता का आर.सी.सी. सिस्टर्न निर्माण, पाइप लाइन बिछाने, जोड़ने एवं टेस्टिंग करने का कार्य ।

ग्रुप क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रू. लाख में)	अमानत की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षाकाल छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
—	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय पन्ना में 2X2X2.5 मीटर साइज का पम्प हाउस निर्माण, 5000 लीटर क्षमता का आर.सी.सी. सिस्टर्न निर्माण, 250 मीटर पाईप लाइन बिछाने, जोड़ने एवं टेस्टिंग कार्य।	1.77	3540.00	1000 /–	"सी" एवं उससे ऊपर	45 दिवस

<u>**नियम एवं शर्ते :–**</u>

1. उपरोक्त निविदाओं में पम्प हाउस एवं आर.सी.सी. सिस्टर्न निर्माण कार्य प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 15.06.2009 से जारी यू.एस.ओ.आर. पर, पाईप लाईन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 02.12.2009 से जारी वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज पाईप लाईन के यू.एस.ओ.आर. पर जारी यू.एस.आर. पर आधारित है।
2. ठेकेदारों द्वारा उक्त यू.एस.आर. पर अलग–अलग प्रतिशत दरें देना होगी। समस्त संशोधन निविदा जारी होने के दिनांक तक के लागू होंगे।

3. यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है कार्य का विस्तृत विवरण जैसे ड्राइंग स्पेशीफिकेशन तथा कार्य की विस्तृत शर्त कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक संबंधित कार्यालयों से ठेकेदारों द्वारा देखी जा सकेगी।
4. शासन द्वारा निर्धारित टेक्स और रायल्टी आदि ठेकेदार को देना होगी।
5. कोरे निविदा प्रपत्र डॉक से प्राप्त करने के लिए रू. 100.00 अलग से देना होगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने या गुम जाने की जबावदारी विभाग की नहीं होगी। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
6. निविदा में सम्मिलित कार्य की मात्रा घटाई /बढ़ाई जा सकती है।
7. कार्य आवंटित करते समय कार्य की संख्या में कमी किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
8. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–
   1. आयकर चुकारा प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की छायाप्रति ।
   2. टिन नम्बर की प्रति एवं जीवित पंजीयन की प्रति।
   3. विभाग में किये गये कार्यो की सूची ।
9. निविदा की दरों की वैधता 120 दिन तक रहेगी।
10. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
11. धरोहर राशि ब्याज धारित प्रतिभूति के रूप में जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई हो ही मान्य की जावेगी।
12. पुरानी जमा धरोहर राशि का समायोजन नहीं किया जावेगा।
13. धरोहर राशि के बिना निविदायें खोली नहीं की जावेगी।
14. सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि सभी निविदायें को बिना कारण बतायें अस्वीकृत कर सकता है।
15. कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी।
16. कार्य लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जावेगा।
17. कार्य में उपयोग होने वाला पाईप व उसकी फिटिंग सामग्री विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी, जो विभाग के केन्द्रीय भण्डार गृह से ठेकेदार को प्राप्त करना होगी तथा अपने स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर ले जाना होगी। चूंकि कार्य समय सीमा में ही किया जाना है, अतः किसी सामग्री विशेष की अनुउपलब्धता पर ठेकेदार को बाजार से उचित गुणवत्ता की सामग्री क्रय कर उपयोग में लाने की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसी उपयोग में लाई गई सामग्री का भुगतान ठेकेदार द्वारा सामग्री के प्रस्तुत देयक राशि अथवा सामग्री की म.प्र. लघु उद्योग निगम में दर्ज दर, जो भी कम होगी के अनुसार किया जावेगा। सामग्री की लागत पर निविदाकार द्वारा प्रेषित दर (सी.एस.आर. से ऊपर) देय नहीं होगी। सामग्री क्रय हेतु पृथक से आदेश जारी कराना होगा।
18. कार्य स्थल पर सावधानी सूचना संकेत का उपयोग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना आवश्यक होगा। खुदी हुई पाइप लाइन एक दिवस से अधिक खाली नहीं रहेगी।
19. टेलीफोन लाइन /रोड कटिंग आदि की स्वीकृति संबंधित विभाग /ग्राम पंचायत से ठेकेदार को स्वयं प्राप्त करना होगी। इस हेतु विभाग द्वारा मात्र अनुशंसा पत्र ही जारी किया जावेगा।
20. यह सकर्म निविदा होगी। अतः म.प्र. वाणिज्य कर अधिनियम से धारा 35 (1) के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्य् कर कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी। एवं प्रपत्र 42 के प्रमाण पत्र पर दिया जावेगा।
21. म.प्र. वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 264/आर.–444/ब–1/2009 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुसार निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना आनिवार्य है (टिन नम्बर) प्रमाण– पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

22. कार्य /सामग्री का भुगतान आवंटन के आधार पर किया जावेगा। सामग्री की की टूट –फूट की जबावदारी फर्म की होगी।
23. सामग्री के कार्य स्थल तक परिवहन हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
24. कार्यालय की स्वीकृति के बिना सबलेटिंग नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना, म0प्र0

पृ0क्र0/942/व0ले0लि0/का0यं0/लो0स्वा0यां0/खण्ड/13 पन्ना, दिनांक : 8.3.13
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
4. कलेक्टर जिला पन्ना ।
5. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
6. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग पन्ना/जल संसाधन विभाग पन्ना/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना
7. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना/पवई
8. एन0आई0सी0 पन्ना
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क पन्ना
10. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
11. नोटिस बोर्ड

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)